

**खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।**

पत्रांक- 852 / न०नि०

सेवा में,


श्री दिनेश कुमार तिवारी  
 पता- रा. बा. क. नगर, धनबाद।  
सि. वि. नं. 4

विषय- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संरक्षित भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० धनबाद, दिनांक 10/1/2013  
 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 24.3.12 के संबंध में। बी०डी०-788/11-12

महाराज, आपके आवेदन, दलील संख्या- 11966 दि. 29-11-11 दाखिल खारिज अभिलेख  
 संख्या- 476 III 12-13 जमावदी संख्या- 732/48 से निर्गत  
 लगान रसीद वर्ष 20/2-13 की अतिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond  
 एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/ संरक्षित भवन  
 संबंधी बी०डी० केश नं० 788/48 के नवशे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास  
 प्राधिकार धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि चास-30 मौजा अन्तर्गत खाता नं० 307  
 प्लॉट नं० 198, 199 रकबा 58.90 बी  
 भूमि पर स्वीकृत नवशे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अशोक कुमार  
 की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहरताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।  
 स्वीकृत नवशे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की  
 लिखित जानकारी अधोहरताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।  
 प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वैगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेंगा,  
 बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।  
 खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर करना सुनिश्चित  
 करेंगे।

आप स्वीकृत नवशे में दर्शाये नाली रो हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।  
 महा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संरक्षित भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व,  
 अधिकार एवं स्वत्व का प्रमाण नहीं है।  
 जिन प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये  
 किया जा सकेगा।  
 जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य  
 सरकार/नेशनल थिलिडग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।  
 आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25 % कुल रू०- 86000 जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक  
 श्रमयुक्त, धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

  
 नगर निदेशक/तकनीकी सदस्य  
 खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार  
 धनबाद।

ज्ञापक- / नगर निवेशन, दिनांक /

प्रतिरिपि- श्री अशोक कुमार लाईसेंसी अभियन्ता, धनबाद/चास-बोकारो।  
 2-सहायक श्रमयुक्त, धनबाद को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर निदेशक/तकनीकी सदस्य  
 खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,  
 धनबाद।

Technoculture Building Centre Pvt.  
  
 Authorised Signatory

**Chas Municipal Corporation**  
**Certificate For Empanelled Builder**

Entity Name	: TECHNOCULTURE BUILDING CENTER PVT. LTD	Enrolment Number	: DEV/2004/0008/2019
Category of Entity	: Private Limited Firm	Enrolment Date	: 16/07/2019
CIN Number	: DEV/2004/0008/2019	Registration Number	: DEV/2004/0008/2019
Establishment Year	: 2006	Issue Date of Registration Number	: 16/07/2019
Address	: PLOT NO. HD-15 , CITY CENTER SECTOR-4, B.S CITY (JHARKHAND)	Phone Number	: 7488538181

This is to declare that **TECHNOCULTURE BUILDING CENTER PVT. LTD** having enrolment number **DEV/2004/0008/2019** , has been successfully registered with us with satisfactory compliance of registration criteria and to certify that registration number **DEV/2004/0008/2019** has been allocated to you as empanelled **Private Limited Firm** under this local body to act as authorized **Private Limited Firm** for conducting its activity as per its MOA(Memorandum of Association).

The validity of this certificate is subject to meeting the terms and conditions as specified under Annexure-I of Jharkhand Building Bye-laws 2016 and renewal of validity period of this certificate.

Document certified by SHASHI  
PRAKASH JHA  
<chasmunicipalcorporation@gmail.com>

Name: SHASHI PRAKASH JHA  
Designation: AM  
Organization: CHAS MUNICIPAL CORPORATION

Authorized Signatory

TECHNOCULTURE BUILDING CENTER PVT. LTD  
PLOT NO. HD-15, CITY CENTER SECTOR-4, B.S  
CITY (JHARKHAND)